

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

=====

समाचार भाग -2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

बुधवार, 03 जनवरी, 2001 / पौष 13, 1922 § शक §

संख्या : 120

सदस्यों की नजरबन्दो एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री सुभाष चौपड़ा, राजेश जैन, कुंवर करण सिंह, शादी राम, दीप चन्द बन्धु, अरविन्दर सिंह लवलो, मुकेश शर्मा, भोषम शर्मा व श्रीमती किरण चौधरी को 30.12.2000 को 1340 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम¹⁹⁷⁸ की धारा -65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 30.12.2000 को 1350 बजे रिहा कर दिया गया।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)
Wednesday, 03rd January, 2001 / Poush 13, 1922 (Saka)

No.120

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner of Police, North Distt., Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Shri Subhash Chopra, Rajesh Jain, Kunwar Karan Singh, Shadi Ram, Deep Chand Bandhu, Arivinder Singh Lovely, Mukesh Sharma, Bheeshm Sharma and Smt. Kiran Choudhry, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act.1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1340 hrs on 30.12.2000.

They were released at 1350 hrs from the same place on the same day i.e. 30.12.2000."

S.K.SHARMA
SECRETARY